नगर पालिका, विराटनगर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/VIRATNAGAR/FIRENOC/2026-27/68315

जारी दिनांकः 07-MAY-2026 वैधता दिनांकः 06-MAY-2028

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः PRADEEP GURJAR SECRETARY NAVRANG PUBLIC SCHOOL SHIKSHA SAMITI

आवेदक का पताः SEVRA TEORI TEHSIL VIRATNAGAR DISTRICT KOTPUTLI BEHROR

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **NAVRANG SHIKSHAK PRASHIKSHAN MAHAVIDYALAYA NAVRANG, 02, BAN GANGA TAT, MAID, , KOTPUTLI-BEHROR, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **स्थाई** (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भूमि व भवन संबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उतरदायी होगा।
3. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
4. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
5. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे।
6. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा हैं वहा पर रूफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
7. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
8. फायर की अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व नवीनीकरण के लिये आवेदन करना होगा अन्यथा 5000 रूपये पैनल्टी के तौर पर देय होंगे।
9. उक्त स्थल पर निर्माण कार्य के समय सुरक्षा मापदंडों की पूर्ण पालना करनी होगी।
10. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा व निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
11. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
12. भवन का सहायक अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा
13. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
14. समय–समय पर नेशनल बिल्डिंग कोड़ में होने वाले संशोधनो की भी पालना करनी होगी।

Signed by: Fateh Singh Meena
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: VIRATNAGAR, Rajasthan
Date: 07/05/2026 18:52:07

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, विराटनगर